



रूप क्रमांक 2  
(देखिये नियम 7)

मध्य प्रदेश शासन



## समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक 07/38/01/13848/17

यह प्रमाणित किया जाता है कि **SARDANA EDUCATION SOCIETY, समिति** जो **1, FOREST COLONY, MOTI BUNGLOW, BEHIND SBI, DEWAS** तहसील देवास जिला देवास में स्थित है, मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन **10 अप्रैल 2017** को पंजीयित की गई है।

Signature valid  
Digitally Signed By B S SOMKEY (ASST  
REGISTRAR FIRMS AND SOCIETIES)  
Date : 10-Apr-2017 14:26:06 IST

दिनांक 10 अप्रैल 2017

समितियों के रजिस्ट्रार

78/6/10/12

पंजीयन क्र... 13.848 दि 10/4/17

प्रारूप क्रमांक 1  
(देखिये नियम 3)  
समितियों के पंजीयन हेतु शीपन-पत्र

आवेदन क्रमांक : S2090104183627032017

अनुमोदन दिनांक : 04 Apr 2017

1. सोसायटी का नाम SARDANA EDUCATION SOCIETY होगा।  
2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक 1, FOREST COLONY, MOTI BUNGLOW, BEHIND SBI, DEWAS 455001 तहसील Dewas जिला Dewas मध्य प्रदेश में स्थित होगा।  
सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 9993031042 ईमेल आईडी sardanatutorials@gmail.com

3. 3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-  
1. शिक्षा के क्षेत्र में नवीन शोध एवं अनुसंधान हेतु कार्य करना। 2. आवासीय विधा (गुरुकुल शिक्षा पद्धति) को प्रोत्साहित करना एवं संबंधित विषय में गुरुकुल की स्थापना करना। 3. विद्यालयों व कॉलेजों की स्थापना करना। 4. समाज के कमजोर, पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम संचालित करना। 5. कम्प्यूटर शिक्षा को स्थापित और प्रसारित करना। 6. स्किल शिक्षा केन्द्रों को स्थापित करना।  
7. योग शिक्षा एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का प्रचार-प्रसार करना एवं सामान्य वर्ग तक इसे स्थापित करना। 8. झूला घर, बालवाड़ी, प्रौढ़-शिक्षा केन्द्रों एवं वाचनालयों का संचालन करना। 9. शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं हेतु सेमिनार आयोजित कर लोगों को जागरूक करना। 10. तकनीकी शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा के लिए उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम चलाने हेतु तकनीकी शिक्षण संस्थानों का संचालन करना। 11. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना। 12. चिकित्सा शिक्षा हेतु संस्थानों की स्थापना करना।

4. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर संचालक परिषद समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है:-

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1	Mahendra Sardana	Late Shobhraj Sardana	अध्यक्ष	398 EWS, Vijay Nagar, Dewas, Dewas, Madhya Pradesh	Stationary Shop
2	Devendra Singh Sood	Late Mahendra Singh Sood	उपाध्यक्ष	M 53, Veena Nagar, Indore, Indore, Madhya Pradesh	Job
3	Lalit Sardana	Mahendra Sardana	सचिव	1, Forest Colony, Moti Bungalow, Behind SBI,, Dewas, Dewas, Madhya Pradesh	Teacher
4	Abhishek Khurana	Ashok Khurana	कोषाध्यक्ष	7 B LIG, Colony Vijay Nagar, Dewas, Dewas, Madhya Pradesh	Wooden Shop
5	Deepa Sardana	Mahendra Sardana	संयुक्त सचिव	398 EWS, Vijay Nagar, Dewas, Dewas, Madhya Pradesh	House Wife
6	Poomima Sood	Devendra Sood	सदस्य	M 53, Veena Nagar, Indore, Indore, Madhya Pradesh	Retired Trainer
7	Soniya Khurana	Abhishek Khurana	सदस्य	7 B LIG, Colony Vijay Nagar, Dewas, Dewas, Madhya Pradesh	House Wife

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है। हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/ पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	Mahendra Sardana , Late Shobhraj Sardana, 398 EWS, Vijay Nagar, Dewas, Dewas, Madhya Pradesh	Mahendra
2	Devendra Singh Sood , Late Mahendra Singh Sood, M 53, Veena Nagar, Indore, Indore, Madhya Pradesh	Devendra
3	Lalit Sardana , Mahendra Sardana, 1, Forest Colony, Moti Bungalow, Behind SBI,, Dewas, Dewas, Madhya Pradesh	Lalit
4	Abhishek Khurana , Ashok Khurana, 7 B LIG, Colony Vijay Nagar, Dewas, Dewas, Madhya Pradesh	Abhishek
5	Deepa Sardana , Mahendra Sardana, 398 EWS, Vijay Nagar, Dewas, Dewas, Madhya Pradesh	Deepa
6	Poomima Sood . Devendra Sood, M 53, Veena Nagar, Indore, Indore, Madhya Pradesh	Poomima
7	Soniya Khurana , Abhishek Khurana, 7 B LIG, Colony Vijay Nagar, Dewas, Dewas, Madhya Pradesh	Soniya

M. Sood

L. Sardana

S. Khurana

44 2017

हम निम्नानुसार पदाधिकारी / सदस्य आदर्श उप-विधियाँ प्रारूप-एक क को सोसाइटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं।

(अध्यक्ष) *M. K. Singh*  
सदस्य

(सचिव)

(कोषाध्यक्ष)

*I. Saldan*

*A. Khan*

दिनांक



सोसाइटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करें

चालान क्रमांक UBIN053837014752703201700429

पदाधिकारी की जानकारी

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Passport

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Passport

Uploaded ID Proof

Uploaded Address Proof

पंजीयन क्र. 13848 दिनांक 12/08/2017  
असि. रजि. फार्म नं. 1/2017  
पहचान पत्र का क्रमांक M3566656, उज्जैन

पते का क्रमांक M3566656

साक्षी:-

हस्ताक्षर :- *Farid*

साक्षी का नाम :- Farid Khan

साक्षी का पिता/पति:- Rais Khan

पूर्ण पता :- Madhya Pradesh

*T.C.*  
*6-10-17*  
(बी.एस. सोलंकी)  
सहायक पंजीयक  
फार्म एवं संस्थाएँ उज्जैन संभाग, उज्जैन  
*I. Saldan*


*M. K. Singh*

*A. Khan*





Registration and Stamp Department  
Madhya Pradesh



Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code 01011020092017002404  
 Total E-Stamp Amount 100  
 Govt. Stamp Duty (Rs.) 100 Municipality Duty (Rs.) 0  
 Janpad Duty (Rs.) 0 Upkar Amount (Rs.) 0  
 Exempted Amount(Rs.) 0  
 E-Stamp Type NON-JUDICIAL  
 Issue Date & Time 20/09/2017 13:04:39  
 Service Provider or Issuer Details MOHAMMED SOHEL SHAIKH/SP011042804201700100  
 SP/SRO/DRO/HO Details B,Block-03 Kanak Complex, First Floor Moti Bunglow Main Road DEWAS DEWAS

Deed Details

Deed Type Copy or Extract  
 Deed Instrument Copy or Extract, certified to be a true copy or extract by or order of an public officer under section 76 of the Indian Evidence Act 1872 (1 of 1872) and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees- One hundred rupees.  
 Purpose AFFIDAVIT

First Party Details

Organization Name SARDANA EDUCATION SOCIETY  
 Address 1 FOREST COLONY BEHIND STATE BANK OF INDIA MOTI BUNGLOW DEWAS DEWAS Madhya Pradesh INDIA  
 Number of Persons 1

Second Party Details

Organization Name SOCIETY OF REGISTRAR UJJAIN  
 Address UJJAIN UJJAIN Madhya Pradesh INDIA  
 Number of Persons 1




AFFIDAVIT



Digitally signed by SOHEL SHAIKH  
 Date: 2017.09.20 13:04:50  
 IST

6.10  
 (बी.एस. सोलंकी)  
 सहायक पंजीयक

कर्ना एवं संस्थाएँ उज्जैन संभाग, उज्जैन



जावकक्रं. 1245 दि. 21/2/24

## संशोधित नियमावली

संशोधन किया गया।


पंजीयन क्रं. 13848 दि. 10/11/2017


संशोधन दिनांक 21/2/2024



1. सोसायटी का नाम SARDANA EDUCATION SOCIETY होगा।
2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक 1, FOREST COLONY, MOTI BUNGLOW, BEHIND SBI, DEWAS 455001 तहसील देवास जिला देवास मध्यप्रदेश में स्थित होगा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
4. 3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-
  1. शिक्षा के क्षेत्र में नवीन शोध एवं अनुसंधान हेतु कार्य करना।
  2. आवासीय विद्या (गुरुकुल शिक्षा पद्धति) को प्रोत्साहित करना एवं संबंधित विषय में गुरुकुल की स्थापना करना।
  3. विद्यालयों व कॉलेजों की स्थापना करना।
  4. समाज के कमजोर, पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम संचालित करना।
  5. कम्प्युटर शिक्षा को स्थापित और प्रसारित करना।
  6. स्किल शिक्षा केन्द्रों को स्थापित करना।
  7. योग शिक्षा एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का प्रचार-प्रसार करना एवं सामान्य वर्ग (तक) इसे स्थापित करना।
  8. झूला घर बालवाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों एवं वाचनालयों का संचालन करना।
  9. शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं हेतु सेमिनार आयोजित कर लोगो को जागरूक करना।
  10. तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा के लिए, उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम चलाने हेतु तकनीकी शिक्षण संस्थानों का संचालन करना।
  11. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना।
  12. चिकित्सा शिक्षा हेतु संस्थानों की स्थापना करना।



  
अध्यक्ष

  
सचिव

  
कोषाध्यक्ष

संशोधन किया गया।

पंजीवन क्र. 13848 दि. 10/4/2017

संशोधन दिनांक 21/2/2024

5. सोसाइटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे:-

- (अ) संरक्षक सदस्य: वह व्यक्ति जो रुपये 1000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर बारह किश्तों में भुगतान करता है, सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा।
- (ब) आजीवन सदस्य: वह व्यक्ति जो रुपये 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा।
- (स) साधारण सदस्य: वह व्यक्ति जो रुपये 10/- प्रतिमाह या रुपये 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान करेगा।
- (द) अवैतनिक सदस्य: सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मानसेवी सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मेलन में भाग से सकते हैं, परंतु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।

6. सदस्यता की प्राप्ति - प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. सदस्यों की योग्यता - संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:-

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।
2. भारतीय नागरिक हो।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
4. सद्चरित्र हो तथा मधपान न करता हो।



8. सदस्यता की समाप्ति - संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी:-

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल हो जाने पर।

*mbal*  
अध्यक्ष

*Isobal*  
सचिव

*Isobal*  
कोषाध्यक्ष

संशोधन किया गया।

पंजीयन क्रं. 13848 दि. 10/4/2017

संशोधन दिनांक 21/2/2024

3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।
4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:-


1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर।
2. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर।
3. वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।


10. (अ) साधारण सभा — साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा।


यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा — प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

(स) विशेष — यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार

  
अध्यक्ष

  
सचिव

  
कर्मचारी

संशोधन किया गया।

पंजीयन क्रं 10848 दि 10/4/2017

संशोधन दिनांक 21/2/2024

करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:-

- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
- (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।
- (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
- (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
- (छ) बजट का अनुमोदन करना।



12. प्रबंधकारिणी का गठन - नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।


- (1) अध्यक्ष 1 (2) उपाध्यक्ष -1, (3) सचिव - 1, (4) कोषाध्यक्ष - 1, (5) संयुक्त सचिव - 1, (6) सदस्य - 2


13. प्रबंध समिति का कार्यकाल - प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य-

- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

  
अध्यक्ष

  
सचिव


  
कोषाध्यक्ष


- (ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
- (स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
- (द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
- (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।
- (च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी। तथा संस्था अपने उद्देश्यों की लक्ष्यपूर्ति हेतु किसी भी वित्तीय संस्था से नियमानुसार ऋण/लोन ले सकती है, जिसकी किश्तों आदि का भुगतान कार्यकारिणी द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

- (छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जाएगी।

15. **अध्यक्ष के अधिकार** – अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।
16. **उपाध्यक्ष के अधिकार** – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
17. सचिव, एक समय में रु. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु प्राधिकृत होगा।
18. संयुक्त सचिव के अधिकार सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।
19. कोषाध्यक्ष के अधिकार समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

  
अध्यक्ष


  
सचिव

  
कोषाध्यक्ष


T.G.  
(दौलतराम रोहरिया)  
प्रभारी सहायक मजीयक

20. **बैंक खाता** – सोसाइटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा की जाएगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष & सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 5000/- रहेंगे।
21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** – अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 के दिन भीतर विहित शुल्क साथ निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जायेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयों को परीक्षित लेखा भेजेगी।
22. **संशोधन** – संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्मस एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।
23. **विघटन** – संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यो वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
24. **सम्पत्ति** – संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्मस एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।
25. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना** – संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्मस एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।
26. **विवाद** – संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो व रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

  
अध्यक्ष

  
सचिव

T.C.

  
कोषाध्यक्ष

(दीर्घा सहारिया)

प्रभारी सहायक पंजीयक  
पंजीयन एवं संस्थाएं उज्जैन संभाग, उज्जैन



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CE 002570

*[Handwritten signature]*

असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ सौभाग्य  
उज्जैन संभाग, उज्जैन

*[Handwritten signature]*  
(दोलाप्रताप सिंह रिया)  
प्रभारी सहायक पंजीयक  
उत्सव एवं संस्थाने उज्जैन संभाग, उज्जैन

खेडान 13848  
10/4/17

उत्सव एवं संस्थाने सौभाग्य की प्रतीक।

6414  
15/07/2024

14  
7/2/00


दुपाना सुत्रिकपत्र-खोठ  
द्वारा



श्री मन्मथलाला द्विवान  
5626 9242750

T. Sarda

निलेश धाकड़  
(स्टाम्प वेण्डर)  
भरतपुरी कॉन्सल्टिंग, उज्जैन (म.प्र.)  
फोन: 8074220601





4.	Shweta Sardana W/O Lalit Sardana	1. Forest Colony, Moti. Bunglow, Behind SBI, Dewas, Madhya Pradesh	7049323800	Treasurer	Teacher	
5.	Deepa Sardana W/O Mahendra Sardana	398 EWS, Vijay Nagar, Dewas, Madhya Pradesh	9977624607	Joint Secretary	House wife	दिपा सरदाना
6.	Poornima Sood W/O Devendra Sood	M-53, Veena Nagar, Indore, Madhya Pradesh	9993431042	Member	Retired Trainer	
7.	Rohit Singh Rathore S/O Dileep Singh Rathore	88, LIG, Vikas Nagar, Dewas, Madhya Pradesh	7000072177	Member	Job	Rohit

5 - मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रं. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन 1000... रु. की वार्षिक फीस, ऑनलाईन चालान दिनांक 21-2-24 के माध्यम से जमा कर दी गई, उसकी प्रति संलग्न है। चालान आईडेंटिफिकेशन नंबर (CIN) 74441 है।

### घोषणा-पत्र

मैं ललित सरदाना पुत्र महेन्द्र सरदाना आयु लगभग 43 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद् द्वारा घोषण करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझ अघोहरताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में हैं। मैं यह जानता/जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असात्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन दण्ड का/की दायी रहूँगा/रहूँगी।

हस्ताक्षर

नाम ललित सरदाना

पदनाम (सचिव)

मोबा. नम्बर 9993031042

ई-मेल आई.डी. ....

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि।

यटी रजिस्ट्रीकरण की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि।


13848 दि. 21/2/24 को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की प्रतिलिपि।

124 अध्यक्ष

(दौलतसिंह रोहिया) प्रभारी सहायक पंजीयक फसल एवं संस्थाने उज्जैन संभाग, उज्जैन

काषाध्यक्ष

हेतु के तहत प्रतिलिपि जारी है। प्रमाण पत्र/आदेश नहीं है।



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CE 002572

*Cancel*

मध्य प्रदेश सोसा  
1973

"संस्था S.S.  
क्रमांक ...  
के नाम से दिन  
सोसायटी रजि  
27 की जानका  
दिनांक 21/2  
के द्वारा आप  
प्रस्तुत शासना  
में प्रस्तुतकर्ता पर  
द्वारा धारा 29 के त  
धारा 29 के तहत  
वैधानिकता के संबंध

(दौलतराम रोहरिया)  
प्रभारी सहायक पंजीयक  
ईस एवं संस्थारे उज्जैन संभाग, उज्जैन

84/6  
20/02/24

$\frac{100}{1} = 100$

नमः देव

सरद्वाना एण्डेसन सोसायटी  
देवास



ए. अमित सरद्वाना देवास  
5628 7242 7950

Best

①

निलेश धाकड  
(स्टाम्प वण्डर)  
भारतपुरी कॉम्प्लेक्स, उज्जैन (म.प्र.)  
मो. 9874228501